

असल अवागत उपखण्ड अधिकारी

कई अहकाम
(नियम-24)

मुकाम किशनगढ जिला अजमेर

प्राची- सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ।

प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं धारा 58, 59, 60, 66, 86 भू-अभिलेख नियमावली 1957 बाबत चालू रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु।

दर्ज दिनांक 30.04.2025

प्रार्थना पत्र संख्या 78/2025

ऑनलाईन संख्या 2025/78

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|-------------|--|---|
| 30.04.2025 | <p>तहसीलदार किशनगढ द्वारा राजस्व (भूप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प 3 (2) राज-6 /2003 / पार्ट जयपुर, दिनांक 10.08.2016 की पालना में पत्रांक राजस्व/2025/372 दिनांक 24.01.2025 एवं "रास्ता खोलो अभियान 2025" के अन्तर्गत आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में स्थाई अंकन करने हेतु ग्राम पंचायत बडगांव पटवार हल्का पाटन भू-अभिलेख पाटन में प्रचलित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में स्थाई अंकन हेतु प्रस्ताव मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस, मौका पर्चा के प्राप्त हुआ है। मुताबिक रिपोर्ट खसरा संख्या 596/246 रकबा 0.0485 हैक्टेयर में से एक प्रचलित रास्ता है जिसका रकबा 0.0360 हैक्टेयर है, रास्ता काफी वर्षों से प्रचलित है एवं कदीमी है। इस रास्ते की चौड़ाई 9 मीटर है, यह रास्ता उक्त खसरा नम्बर 596/246 में मौके पर चालू है लेकिन रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं है। रास्ते की चौड़ाई 9 मीटर है एवं प्रस्तावित रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त रास्ता बारहमासी प्रचलित है तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलता नहीं है और आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध है। राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ते कि किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करने एवं लाल स्याही से अंकन करने के आदेश जारी करने हेतु हमारे समक्ष प्रस्तावित किया गया है। हमारे द्वारा पत्रावली व प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार के द्वारा अभिशंसित सलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज राजकीय भूमि खाता संख्या 01 में से प्रस्तावित रास्ते खसरा संख्या 596/246 कुल रकबा 0.0485 हैक्टेयर में से 0.0360 हैक्टेयर को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। सलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार ग्राम ग्राम पंचायत बडगांव पटवार हल्का पाटन भू-अभिलेख पाटन की भूमि खसरा नम्बर 596/246 रकबा 0.0485 हैक्टेयर में से 0.0360 हैक्टेयर का, जरिये नामान्तरकरण रास्ता पृथक से दर्ज करते हुये रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे, एवं प्रस्तावित नक्शे अनुसार नक्शे में तरमीम की जावे। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पूर्व खाते में ही रहेगी एवं तहसीलदार द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा, तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फॉर्मल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।</p> | |



उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ